	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम लघुरत्न कंपनी) **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** जिला श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509–223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED** (A Government of India Undertaking Miniratna Company) **CENTRAL STATE FARM, SURATGARH** Distt:- SriGanganagar Phone No.: 01509–223873 Email ID-ago.csfsuratgarh@gmail.com

सी.एस.एफ./सूरतगढ़/2-65/कृषि/भाग-**II**/2022 दिनाँक:14.09.2022

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़, जिला - श्रीगंगानगर (राज.) में **खरीफ 2022** में बोई गई **मूँग 550.00 एकड़ व ग्वार 229.00 एकड़ की कटाई, थ्रैशिंग** करने हेतु सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं जो कि दिनाँक 28.09.2022 को 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जिन्हें उसी दिन दोपहर 03:00 बजे खोला जाएगा | निविदाएँ देने से पहले रुपये 10,000.00 (दस हज़ार) मात्र प्रत्येक चक व फसल अमानत राशि व निविदा प्रारूप राशि रु. 236/- मात्र **NEFT/RTGS/Online Mode** से जमा करानी होगी | निविदा प्रपत्र एवं कार्य की नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती हैं | असफल बोलीदाता की राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी | निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड/पैन कार्ड की प्रति देनी होगी |

प्रबंधक(उत्पादन)

निविदा प्रपत्र

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़।

खरीफ 2022 की फसलों की हाथ से कटाई /गहाई के लिए टेन्डर दिनॉक 28.09.2022

कार्य का विवरण :– फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे-छोटे ढेर लगाने होगें, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होगें, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई **मूंग/ग्वार** को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा। अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर **पहुचाना** होगा । संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी । **मूंग व ग्वार** की थ्रेसिंग ठेकेदार को फार्म कम्बाईन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा । **ठेकेदार को फार्म को देने-लेने के रुपए अंकित करना अनिवार्य है। दिया गया एरिया स्थिति अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है |**

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	फसल का बिजाई क्षेत्र (एकड में)	दर प्रति एकड रूपयों में	
			ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि	ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जाने वाली राशि
मूंग फसल				
ब्लाक 1	38 STG	155.00		
	39 STG	98.00		
	40 STG	56.00		
TOTAL :-		**309.00**		
ब्लाक 2	31 B PBN	86.00		
	33 PBN	26.00		
TOTAL :-		**112.00**		
ब्लाक 3	34 PBN	54.00		
	3 SGM	45.00		
	EPO	30.00		
TOTAL :-		**129.00**		
G.TOTAL		**550.00**		

ठेकेदार के हस्ताक्षर...
नाम व पूरा पताः...
....
मोबाईल न0...
निविदादाता का बैंक खाता संख्या
IFSC CODE/BRANCH NAME ....
....

निविदा प्रपत्र

खरीफ 2022 की फसलों की हाथ से कटाई /गहाई के लिए टेन्डर दिनॉक 28.09.2022

कार्य का विवरण :— फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे-छोटे ढेर लगाने होगें, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होगें, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई **मूंग/ग्वार** को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा। अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर **पहुचाना** होगा । संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी । **मूंग व ग्वार** की थ्रेसिंग ठेकेदार को फार्म कम्बाईन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा । **ठेकेदार को फार्म को देने-लेने के रुपए अंकित करना अनिवार्य है। दिया गया एरिया स्थिति अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है।**

ब्लाक नम्बर	चक नम्बर	फसल का बिजाई क्षेत्र (एकड में)	दर प्रति एकड रूपयों में	
			ठेकेदार द्वारा फार्म को दी जाने वाली राशि	ठेकेदार द्वारा फार्म से ली जाने वाली राशि
ग्वार फसल				
ब्लाक 2	RPM-2	20.00		
	31 B PBN	50.00		
TOTAL :-		**70.00**		
ब्लाक 3	34 PBN	26.00		
	3 SGM	50.00		
	4 SGM	83.00		
TOTAL :-		**159.00**		
G.TOTAL		**229.00**		

ठेकेदार के हस्ताक्षर..
नाम व पूरा पता:...
....
मोबाईल न0..
निविदादाता का बैंक खाता संख्या
IFSC CODE/BRANCH NAME ....
....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज.)
खरीफ 2022 फसलों की कटाई के लिए नियम एवं शर्तें

1. **सफल** निविदादाता/बोलीदाता को रूपये 10000/– मात्र प्रत्येक चक व फसल के लिए धरोहर राशि के रूप में **व रु.** 236/- **निविदा प्रपत्र राशि के रूप में** Online के द्वारा जमा कराना होगा।

2. निविदादाताओं को अपना स्थायी पता **के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड** / पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड़ अंकित हो **को** निविदा **प्रपत्र** के साथ संलग्न करनी अनविार्य हैं।

3. **सफल बोली दाता/ निविदा दाता को कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर रूपये 10000/– मात्र प्रत्येक चक के हिसाब से अमानत राशि के रूप मै फार्म खाते मै** जमा कराना होगा। **सफल बोली दाता/ निविदा दाता के द्वारा पूर्व मै जमा** धरोहर राशि **अमानत राशि के रूप परिवर्तित की जा सकती है। जमा अमानत राशि को** कार्य सन्तोषजनक ढग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। आवंटित क्षेत्र की 25 प्रतिशत राशि **कार्य आदेश जारी करने के पाँच दिन के भीतर** जमा करानी होगी, शेष 75 प्रतिशत राशि थ्रैसिंग शुरू करने से पहले जमा करानी होगी (**यह स्थिति** फार्म को दी जाने वाली राशि **के संदर्भ में लागू होगी) |** जमा नहीं करानें पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी । असफल बोली दाता को राशि बैंक खाते में जमा कर दी जायेगी।

4. निविदादाता/बोलीदाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार **पूर्ण रूप से** फार्म **प्रमुख** का होगा ।

5. **मूंग व ग्वार** फसलों की कटाई/**गहाई** के लिए ठेकेदार को अपने श्रमिक एवं कटाई सम्बन्धित औजारों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।

6. फसलों की कटाई के बाद पहले छोटे छोटे ढेर लगाने होगें, तथा वह सूखने के बाद एक मुरब्बे में चक प्रभारी द्वारा बताये अनुसार 3 या 4 ढेर लगाने होगें, ढेर बनाने से पहले ढेर लगाने वाली जगह पर खलिहान बनाना होगा। कटी हुई **मूंग/ग्वार** को पल्ली में डाल कर खलिहान पर इक्कठा करना होगा।

7. **मूंग व ग्वार** की थ्रेसिंग ठेकेदार को फार्म कम्बाईन से करनी होगी तथा पूरा अनाज फार्म को देना होगा व नीरा ठेकेदार का होगा ।

8. अनाज को फार्म के वाहन में लादकर सम्बन्धित खण्ड के विनोइंग सेन्टर पर **पहुचाना** होगा । संबंधित खेत के खलियान की सफाई भी ठेकेदार को करनी होगी ।

9. ठेकेदार फार्म में कोई पशु आदि नहीं रख सकेगा । नीरा **सुबह 09 बजे से** सांय 5 बजे तक ही ले जा सकेगें तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के चैक करनें पर ठेकेदार चैक कराने से मना नहीं कर सकेगें ।

10. कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के दौरान फार्म को कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी ।

11. ठेकेदार को आवंटित कार्य समय पर पूरा करना होगा, यदि श्रमिकों की कमी या अन्य कारणों से फसल को नुकसान हुआ तो दूसरा ठेकेदार लगाया जायेगा तथा अतिरिक्त जो भी खर्चा इस मद में होगा उसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

12. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

13. **फसलों की** कटाई अथवा थ्रेसिंग के समय किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी **पूर्ण रूप से** ठेकेदार की होगी इसमें फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ।

14. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500-00 रूपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर **,**सभी शर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य है तथा इसके अनुसार ही कार्य करूँगा।

15. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी। **कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या शुल्क यदि लागू होगा तो ठेकादर द्वारा वहन किया जाएगा फार्म लागू कर या शुल्क के भुगतान हेतु** जिम्मेदार **नहीं होगा।**

16. अधूरा किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में घरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

17. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म निदेशक का निर्णय अतिंम होगा।

18. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संषोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध **निदेशक** इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

,,,,,

निविदादाता के हस्ताक्षर